राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 417/2024

रामरूप मीणा —अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. प्रबंध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि., विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
3. सचिव (प्रशासन), विद्युत वितरण निगम लि., विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
4. वेदप्रकाश पटेल, वर्तमान जेईन के पद पर एईन कार्यालय (ओ एण्ड एम), रामगढ़, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.02.2024

आदेश की दिनांक :

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1994 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर टोडाभीम में हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 2017 में सहायक अभिंयता के पद पर पदोन्नति प्रदान कर झालावाड़ में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का वर्ष 2021 में बयाना, भरतपुर में स्थानान्तरण किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी का दिनांक 06.10.2023 को अपीलार्थी का खेरली, अलवर में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में यहीं पदस्थापित है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सहायक अभियंता (एचटीएम), डीग में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के उद्देश्य से मात्र 5 माह की

अल्पावधि में 60 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी लीवर की बीमारी से पीड़ित है। जिसका लगातार गेस्ट्रो एण्ड लीवर सेन्टर, झोटवाड़ा एवं राजकीय उपजिला चिकित्सालय, खेड़ली, अलवर में चल रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान सहायक अभिंयता के पद पर (ओ एण्ड एम), खेड़ली, अलवर में कार्य करने दिया जावें।

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1994 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर टोडाभीम में हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 2017 में सहायक अभिंयता के पद पर पदोन्नति प्रदान कर झालावाड़ में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी को वर्ष 2021 में बयाना, भरतपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया। अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभिंयता के पद पर (ओ एण्ड एम), खेड़ली, अलवर में कार्यरत है प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खेड़ली, अलवर से सहायक अभियंता (एचटीएम), डीग में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समायोजित करने के उद्देश्य से मात्र 5 माह की अल्प समयावधि में किया गया है। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–4 को उसकी स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर

पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है।

6. यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

7. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 60 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276) में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।
9. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्‌घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)